बिहार सरकार,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0——————पटना, दिनांक–

सरकार की राय में रब्बी विपणन मौसम 2018–19 हेतु राज्य के किसानों को अपनी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य का नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है ।

I. सहकारिता विभाग के नियंत्रण में कार्यरत प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल/प्रखंड स्तर पर सक्षम पैक्स (व्यापार मंडल के अक्रियाशील होने पर) को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है । प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से गेहूँ का क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला स्तर पर गेहूँ संग्रहण केन्द्र में प्राप्त कराकर अधिप्राप्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

II. व्यापार मंडलों द्वारा राज्य के किसानों से खरीदे गये गेहूँ के गुणवत्ता की जाँच बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने अधिनस्त कार्यरत गुण नियंत्रकों से कराकर अपने गेहूँ संग्रहण केन्द्र में रखेगा तथा उक्त गेहूँ का उपयोग **(DCP) व्यवस्था अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के विरूद्ध लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा ।**

III. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 4(1)/2017–पी0वाई0.I दिनांक– 15.11.2017 के द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत गेहूँ का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :–

(रूपये प्रति क्वींटल)

गेहूँ 1735.00

3. रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक– 05.04.2018 से 30.06.2018 तक के लिए प्रभावी होगा ।

4. यह अधिसूचना रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत दिनांक– 05.04.2018 से 30.06.2018 तक के लिए प्रभावी होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
05/4/XVIII
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2017– 1758 खाद्य, पटना/दिनांक – 05.04.18
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :– दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

05/4/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Section 10 All Document\Section 10\2015\RMS Work Paln for 2016-17.docx

ज्ञापांक– प्र010 / र0वि0अधि0–03 / 2017– 1758 खाद्य, पटना / दिनांक – 05.04.18
प्रतिलिपिः–सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010 / र0वि0अधि0–03 / 2017– 1758 खाद्य, पटना / दिनांक – 05.04.18
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010 / र0वि0अधि0–03 / 2017– 1758 खाद्य, पटना / दिनांक – 05.04.18
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।